

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1278-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश, दिनांक 10-4-15, 8-5-15 एवं 13-5-15 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील एवं जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 5/अ-70/12-13

राजेश राठौर पुत्र गौरीशंकर आयु 42 साल कृषक
ग्राम शेरपुर निवासी गंज सीहोर तहसील व जिला सीहोर

.....आवेदक

विरुद्ध

सुनीता पत्नि अजय राठौर वयस्क कृषक ग्राम शेरपुर
निवासी गंज सीहोर तहसील व जिला सीहोर

.....अनावेदक

श्री एस0 के0 गुरोदिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9.2.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 1278-पीबीआर/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील एवं जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 5/अ-70/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10-4-15, 8-5-15 एवं 13-5-15 के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है। अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष अंतर्गत धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदिका के स्वत्व व आधिपत्य में ग्राम शेरपुर प0ह0नं0 47 तहसील व जिला सीहोर में भूमि सर्वे क्रमांक 24/3, 301/22/3ग कुल रकबा 0.605 स्थित है जिसका सीमांकन अनावेदिका द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर कराया गया है। न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 10-6-12 को विधिवत सीमांकन किया गया है जिसमें आवेदिका के स्वत्व व

आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 24/3 के भाग 0.43 एकड़ पर आवेदक का आधिपत्य अवैध रूप से पाया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 10-4-15 को आवेदक के आवेदन पत्र एवं आपत्ति अंतर्गत धारा 32 का निराकरण किया गया कि खसरे एवं नक्शे में दर्ज प्रविष्टि सही है, जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध न हो जाये। उक्त आवेदन पत्र तथ्यहीन होने से निरस्त किया गया। आवेदक द्वारा नायब तहसीलदासर को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13-12-13 वास्ते आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का निराकरण आदेश पत्रिका दिनांक 8-5-15 द्वारा निरस्त किया गया। इसी प्रकार आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (क) प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 13-5-15 द्वारा उक्त आवेदन पत्र औचित्यहीन होने से निरस्त किया गया। इन्हीं आवेदन पत्रों के निरस्तगी के विरुद्ध ही इस न्यायालय में यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया गया। ऐसा करने पर मैं निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :-

(क) निगरानी में लिखे अनुसार, निगराकार इस विषय के संबंध में पूर्व में दो बार तथा गैर निगराकार एक बार राजस्व मण्डल में आ चुके हैं, तथा राजस्व मण्डल द्वारा ये प्रकरण समाप्त किए जा चुके हैं। नस्ती में उपलब्ध आदेशों की छाया प्रतियों के अनुसार, निगराकार द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानियां (प्रकरण क्रमांक 2932-दो/2013 एवं 1363-दो/2014) राजस्व मण्डल द्वारा ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की गई है।

(ख) आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 10-4-15 में यह लिखा है कि खसरे एवं नक्शे की प्रविष्टियों एवं विषयांकित सीमांकन को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा गलत घोषित, निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, जिस कारण से वे स्थिर एवं प्रभावशील हैं।

(ग) आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 8-5-15 से निगराकार द्वारा आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत प्रदत्त आवेदन दिनांक 31-12-13 यह लिखते हुए निरस्त किया गया है कि उसके संबंध में पूर्व भी विचारण न्यायालय ने (दिनांक 13-1-14 को) आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध निगरानी राजस्व मण्डल द्वारा अग्रह्य की गई है।

(घ) आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 13-5-15 में निगराकार की ओर से प्रदत्त आदेश 8 नियम 1 (क) सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का संदर्भ है, तथा प्रकरण आवेदक (गैर निगराकार) के साक्ष्य एवं



प्रतिपरीक्षण के लिये नियत किया गया है । साथ ही यह भी लिखा गया है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ती आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अन्तिम निराकरण के साथ किया जाएगा ।

(ड) निगराकार अधिवक्ता द्वारा मेरे समक्ष तर्क के दौरान उसके द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 31-3-15 को धारा 32 के अधीन प्रदत्त आवेदन का संदर्भ लेते हुए, तहसील न्यायालय की नस्ती में अवस्थित वाद भूमि से संबंधित तीन नक्शों की छाया प्रतियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया । इनमें से एक ग्राम शेरपुर के अविभाजित खसरा नंबर 24 की है, और बाकी दो में खसरा नंबर 24 के बटाकों की तरमीम दर्शित है । बटाकों की तरमीम वाले नक्शों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट दिखता है कि इन दोनों बटाकों की तरमीम फर्क हैं, जबकि इनमें से एक नायब तहसीलदार और दूसरा तहसीलदार द्वारा अभिप्रेमाणित है । वर्ष 1975 के नक्शों में खसरा नंबर 24 के 4 बटांक (24/1 से 24/4) की तरमीम दिखती है, जिसमें बटांक 24रु3 मूल खसरा नंबर 24 के उत्तरी भाग में दिखता है । इसके विरुद्ध दिनांक 27-11-14 के नक्शों खसरा नंबर 24 के 4 से अधिक बटाकों की तरमीम दिखती है, और इसमें बटांक 24रु3 मूल खसरा नंबर 24 के दक्षिण-पूर्वी भाग में दिखाई देता है, जो वर्ष 1975 के नक्शों में प्रदर्शित बटांक 24रु3 की तरमीम के स्थान से पूरी तरह भिन्न है । इस प्रकार बटांक 24/3 की तरमीम अलग-अलग वर्षों के दो नक्शों में बिल्कुल भिन्नता से दर्शित हैं, जो अनियमितता एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किए जाने का संदेह उत्पन्न कराता है ।

निगराकार द्वारा उसके दिनांक 31-3-15 के आवेदन में इन तीन नक्शों के साथ उठाए गए उपरोक्त बिन्दु का दिनांक 10-4-15, 8-5-15 या 13-5-15 को कोई निराकरण तहसील न्यायालय ने नहीं किया है, ना ही उस बिन्दु पर कोई भी स्पष्ट टीप की है, या फिर किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से उसके संबंध में किसी मार्गदर्शन, हस्तक्षेप या कार्यवाही की मांग की है ।

स्पष्टतः तहसील न्यायालय ने बटांक 24/3 की दो अलग-अलग वर्षों के नक्शों में परिवर्तित अवस्थिति के संबंध में निगराकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिन्दु को पर्याप्त गंभीरता से नहीं देखा है और गैर निगराकार (तहसील में आवेदक) के साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण के लिए नियत कर लिया है, निगराकार को इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर किसी भी तरह के पक्ष समर्थन के अवसर को समझे बगैर ।

4/ चूंकि संहिता के अन्तर्गत नक्शों के पुनरीक्षण की शक्तियां बंदोबस्त की अवधि के बाहर कलेक्टर को प्रदत्त हैं, अतः उपरोक्त पैरा 3 के बिन्दु (ड) पर समुचित जांच कर निष्कर्ष निकालने के लिये मैं यह प्रकरण कलेक्टर, सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे उभयपक्ष को पक्ष समर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का पूर्ण अवसर दें, और पुराने से लेकर नए अभिलेखों नक्शों आदि का परीक्षण करें



ताकि खसरा नंबर 24 के बटांकों विशेषकर 24/3 की तरमीमें में अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग प्रकार से नक्शों में दिखा दी गई हैं, तो यह सक्षम आदेश से हुआ है या नहीं, एवं क्या यह पूर्णतः सही है या नहीं। ऐसी जाँच एवं कार्यवाही के आधार पर कलेक्टर अपने न्यायालय के इस प्रकरण में समग्र रूप से इस बिन्दु के समस्त पहलुओं को कव्हर करते हुए, बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। ऐसा आदेश कलेक्टर, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह में पारित करें। कलेक्टर के इस आदेश के अनुसार एवं उसके प्रकाश में ही तहसील न्यायालय में इस बटांक 24/3 से संबंधित कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।

आदेश पारित।
कलेक्टर, सीहोर, तहसीलदार सीहोर एवं पक्षकार सूचित हो।
रिकार्ड कलेक्टर सीहोर को वापस हो।
प्रकरण समाप्त।
दा0द0 हो।



9.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

ग्वालियर

